19.12.17

वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार डेगाना के प्रकरण सं. 261/2017 सरकार बनाम पूनाराम में प्रार्थी का ग्राम गोरेडीचांचा के खसरा नं. 555/324 रकबा 0.0110 हैक्ट. भूमि पर अतिक्रमण मानते हुए बेदखली एवं जुर्माना से संबंधित आदेश दिनांक 21.11.17 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत अपील प्रस्तुत करते हुए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो।

वकील प्रार्थी ने प्रकरण में आवश्यक प्रकृति होना बताते हुए स्थगन प्रार्थना पत्र पर अन्तरिम रूप से सुनवाई आज ही चाही गई है, जिस पर वकील प्रार्थी को एकपक्षीय अन्तरिम रूप से सुना गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अभी अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख आना शेष है। ऐसी स्थिति में राज्य पक्ष अप्रार्थीगण को सुने बिना अन्तरिम स्थगन आदेश दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। पत्रावली दिनांक 22.01.18 को पेश हो।

3023
21.12
(...)

अपर कलक्टर
नागौर

22.1.18 वकील प्रार्थी उप.। आज अधीनस्थ PO आदेश बाहर [illegible] हो पत्रावली दि. 5.3.18 को पेश हो।

5.3.18 वकील प्रार्थी उप.। आज अधीनस्थ PO साहब अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दि. 21-3-18 को पेश हो।

21.3.18 वकुलाय उप.। पत्रावली [illegible] के साथ दि. 28/3/18 को पेश हो।

अपर कलक्टर, नागौर

रा.अ.प्र.सं. 60/17 पूनाराम वि. सरकार

28/3/18 वकुलाय उप.। [illegible]

अपर कलक्टर, नागौर

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर राजस्थान